

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797] No. 797] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940

### वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1094(ब).—कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उप-धारा-2 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 652 (अ) तारीख 16 जुलाई, 2018 को जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है आक्षेप या सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित की गई थी, पैंतालीस दिन के पूर्व अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिसूचना, 16 जुलाई, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 4 और धारा 29 की उप-धारा 2 और उपधारा 3 के साथ पठित ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 (1952 का 20) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः -

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

6578GI/2018 (i)

2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 के नियम 10 के, "विशाखापट्टनम" प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थातु:-

"जवाहरलाल नेहरू पत्तन"

[फा. सं. 17(35)/2014-विस्फोटक] शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

**टिप्पणः** मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 105(अ) तारीख 18 फरवरी 1987 को प्रकाशित की गई थी और उसके बाद उन्हें निम्नानुसार संशोधित किया गया था:-

- (1) सा.का.नि. 109 (अ) तारीख 28 फरवरी 1990; और
- (2) सा.का.नि. 647 (अ) तारीख 20 अगस्त 2015

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2018

**G.S.R. 1094**(E).—Whereas, the draft rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, were published as required by sub-section 2 of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) vide notification number G.S.R 652(E) dated the 16<sup>th</sup> July, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the notification was made available to the public;

And Whereas, the said notification was made available to the public on the 16th July, 2018;

And Whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952) read with section 4 and sub-sections 2 and 3 of section 29 of the Petroleum Act 1934, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Calcium Carbide Rules, 1987, in rule 10, after the entry "Visakhapatnam", the following entry shall be inserted, namely:-

"Jawaharlal Nehru Port".

[F. No. 17(35)/2014-Expl]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R 105(E) dated the 18<sup>th</sup> February, 1987 and subsequently amended as follows:-

- (1) G.S.R 109(E) dated the 28<sup>th</sup> February, 1990; and
- (2) G.S.R 647(E) dated the 20<sup>th</sup> August, 2015.